न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–सुरेश राव आर.ए.एस.)
वाद संख्याः–03/2025
जी.सी.एम.एस.नं.–2025/5

1. लक्ष्मण कंवर पत्नी भीमसिंह राठौड़ उम्र–70 वर्ष जाति राजपूत निवासी गजनेर रोड़, जज्जू हाउस भुट्टो का चौराहा बीकानेर जिला बीकानेर (राज.)
2. फुलवा कंवर पुत्री भीम सिंह पत्नी प्रशांतनु नरूका आयु लगभग 50 वर्ष जाति राजपूत निवासी सताना भवन, नजदीक बालसंमद झील, मंडोर रोड़ जोधपुर (राज.)

---वादीगण

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

----प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील उपस्थित

1. श्री देवेन्द्र चुघ एडवोकेट —वादीगण की ओर से
2. राज पैरोकार —प्रतिवादी की ओर से

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

–:: निर्णय ::– दिनांक 24/7/25

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके यह कि चक 64 जी.बी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नम्बर 22 पत्थर नम्बर 247/438 का 3.037 हैक्टर कमाण्ड मय खाला वादीया संख्या 01 के पति एवं वादीया संख्या 02 के पिता भीम सिंह पुत्र नानू सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। वादीया संख्या 01 के पति एवं वादीया संख्या 02 के पिता भीम सिंह की मृत्यु दिनांक 15/09/2008 को हो चुकी है वादीया संख्या 01 के पति एवं वादीया संख्या 02 के पिता भीम सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके नाम की चक 64 जी.बी का 3.037 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि स्वर्गीय भीम सिंह के जायज विधिक वारिसान वादीगण एवं वादीया संख्या 01 के पुत्र एवं वादीया संख्या 02 के भाई महेन्द्र सिंह पुत्र भीम सिंह जाति राजपूत एवं शम्भु सिंह पुत्र भीम सिंह जाति राजपूत को विरासत में बहिस्सा बराबर–बराबर यानि प्रत्येक को 1/4, 1/4 हिस्सा प्राप्त हुई, जिसमें से वादीया संख्या 01 के पुत्र एवं वादीया संख्या 02 के भाई शम्भु सिंह नें अपने 1/4 हिस्से की कृषि भूमि को वर्ष 2009 में विक्रय कर दिया गया है। इसलिए भीम सिंह के नाम की शेष कृषि भूमि चक–64 जी.बी तहसील अनूपगढ़ के मुरब्बा नम्बर 22 पत्थर नम्बर 247/438 के किला नं.–1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 6/1, 7, 10/1, 14 ता 16 का कुल 2.278 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि बहिस्सा बराबर यानि 1/3, 1/3 हिस्सा कृषि भूमि वादीगण एवं वादीया संख्या 01 के पुत्र एवं वादीया संख्या 02 के भाई महेन्द्र सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि इंतकाल नम्बर 175 दिनांक 20/08/2009 [illegible] वाद पत्र हैं चूंकि वादीगण राजपूत समाज की पर्दानसीन महिला होने के कारण [illegible] 1 के पति एवं वादीया संख्या 02 के पिता भीम सिंह की मृत्यु के पश्चात वादीया संख्या 01 [illegible] ससुराल पक्ष द्वारा मृतक भीम सिंह पुत्र नानू सिंह का वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 20/04/[illegible] को कार्यालय ग्राम पंचायत झझू से जारी करवाया गया। जिसमें वादीया संख्या 01 [illegible] कँवर की जगह सदभाविक गलती से हवा कंवर एवं वादीया संख्या 02 फुलवा कँवर का नाम सदभाविक गलती से फुल कँवर वादिया संख्या 01 के ससुराल पक्ष के द्वारा गलती से दर्ज करवा दिया गया। वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 20/04/2009 के आधार पर मृतक भीम सिंह के नाम से कृषि भूमि 3.037 हैक्टर का नामान्तरकरण संख्या 175 दिनांक 20/08/2009 को ग्रांम पंचायत 65 जी.बी द्वारा स्वीकृत किया गया। नामान्तरकरण संख्या 175 दिनांक 20/08/2009 के आधार पर राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.08 13:44:41 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

जमाबंदी में वादिया संख्या 01 का नाम लक्ष्मण कँवर की जगह हवाकंवर एंव वादीया संख्या 02 का नाम फुलवा कँवर की जगह फूलकंवर दर्ज कर दिया गया। जो कि एक सदभाविक गलती है और जबकि वास्तविक एंव सही रूप से वादीया संख्या 01 का नाम लक्ष्मण कंवर है एंव वादीया संख्या 02 का नाम फुलवा कँवर है। जिनको इन्ही नामों से जाना एवं पहचाना जाता है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। वादीया संख्या 01 का नाम लक्ष्मण कंवर है तथा वादीया संख्या 02 का नाम फुलवा कँवर है। वादीगण को इन्ही नामों से जाना एवं पहचाना जाता है। वादीया संख्या 01 का लक्ष्मण कँवर के नाम से जारी आधार कार्ड की फोटो प्रति, पेन कार्ड की फोटो प्रति, चुनाव पहचान पत्र की फोटो प्रति ग्रांम पंचायत झझु से जारी प्रमाण पत्र दिनांक 13/08/2024 की फोटो प्रति, रसीद एल.आई.सी. की फोटो प्रति, Employees Provindent fund Pension Sanction Letter की फोटो प्रति एवं वादीया संख्या 02 का फुलवा कँवर के नाम से जारी आधार कार्ड की फोटो प्रति पेन कार्ड की फोटो प्रति एवं पासपोर्ट की फोटो प्रति, Indian Driving Licence की फोटो प्रति ग्रांम पंचायत झझु से जारी प्रमाण–पत्र दिनांक 13/08/2024 की फोटो प्रति सरपंच एंव पटवारी हल्का झझू द्वारा जारी सत्यापन प्रमाण पत्र दिनांक 28/08/2024 की फोटो प्रति सलंग्न वाद पत्र है। असल दस्तावेजात बरवक्त साक्ष्य पेश कर दिये जावेगें। वादीया संख्या 01 पुत्र एवं वादीया संख्या 02 का पुत्र शम्भु सिंह पुत्र भीम सिंह जाति राजपूत द्वारा अपने 1/4 हिस्सा की कृषि भूमि को विरास्त इंतकाल दर्ज होने के पश्चात वर्ष 2009 में विक्रय कर दिया गया है। वादीगण राजपूत समाज की पर्दानसीन औरतजात होने के कारण वादीगण को इस बात का बिलकुल भी जानकारी नही हुई कि वादीया संख्या 01 के ससुराल पक्ष द्वारा वादीया संख्या 01 का नाम लक्ष्मण कुँवर की जगह हवाकंवर एंव वादीया संख्या 02 का नाम फुलवा कँवर की जगह फुलकंवर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दिया गया है। वादीगण सदभावी है। वादीगण को घरेलु कार्य के लिये रूपयों की आवश्यकता होने के कारण आज से अर्सा पांच–सात दिन पूर्व उपरोक्त कृषि भूमि पर अपने–अपने हिस्सा पर ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु कृषि भूमि से सम्बन्धित कागजात तैयार करवाने के लिये हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तब हल्का पटवारी ने बताया कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादिया संख्या 01 नाम लक्ष्मण कँवर की जगह हवाकंवर व वादिया संख्या 02 का नाम फुलवा कँवर की जगह फूलकंवर दर्ज है। तब वादीगण को सर्व प्रथम जानकारी होने पर वादीगण नें हल्का पटवारी को नाम दुरूस्ती करने को कहा तब पटवारी हल्का नें वादीगण को प्रतिवादी तहसीलदार (राजस्व एवं भू. अभि.) अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित होकर नाम दुरूस्त करवाने बाबत् कहा गया। इसके पश्चात वादीगण के द्वारा प्रतिवादी के समक्ष उपस्थित होकर नामान्तरकरण संख्या 175 दिनांक 20/08/2009 में एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादीया संख्या 01 का नाम हवाकंवर की जगह लक्ष्मण कँवर एंव वादीया संख्या 02 का नाम फूलकंवर की जगह फुलवा कँवर दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया। लेकिन प्रतिवादी द्वारा वादीगण को ऐसे करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया गया। बस यही बिनाय मुखास्मत दावा है जो वादीगण को प्रतिवादी के विरूद्ध प्राप्त हुआ। वादीया संख्या 01 का सही व वास्तविक नाम लक्ष्मण कंवर व वादीया संख्या 02 का सही एंव वास्तविक नाम फुलवा कँवर है लेकिन सदभाविक गलती से वादीया संख्या 01 का नाम हवा कंवर व वादीया संख्या 02 का नाम फूलकंवर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया है जो कि एक सदभाविक एंव मानवीय गलती है। कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड एंव अन्य दस्तावेजात में नाम अलग–अलग होने के कारण वादीगण को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। [illegible] दुरूस्त किया जाकर सही एंव वास्तविक नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। ताकि [illegible] वादीगण को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े और [illegible] नाम से ही अपनी उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर सके। इसलिए वादी[illegible] माननीय न्यायालय से अधिकारों की घोषणा करवाने के विधिक अधिकारी है। इसलिए वादीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष आना पड़ा है। वाद पत्र वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी [illegible] रूप से निर्णित एंव डिक्री फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.08 13:44:41 IST
Reason: SelfAttested

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। जबाब स्टेट तहसीलदार रिपोर्ट वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम हवाकवंर पत्नी भीमसिंह एवं फुलकवंर पुत्री भीमसिंह जाति राजपूत दर्ज रिकार्ड है। इसका अंकन वादीगण के द्वारा

कार्यालय उप जिला कलेक्टर, जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

पूर्व में नामान्तकरण दर्ज करने के समय प्रस्तुत किये गये रिकार्ड के अनुसार ही दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के साथ वादीगण स्वय का शपथ पत्र, वारिस प्रमाण, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पैन कार्ड, ग्राम पंचायत झझू वर्ष 2024 मे जारी प्रमाण–पत्र आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये।

प्रकरण का निस्तारण करने हेतु तनकियात कायम की गई जो इस प्रकार है –

1. आया कि विवादित भूमि चक 64 जी.बी पत्थर नं.–246/437, मुरब्बा नं.–247/437 मुरब्बा नं. –247/438 का कुल 10.122 हैक्टर भूमि के सबंध में स्वीकृत नांमातरण सं.–175 दिनांक 20.08.2009 में वादीया सं.–1 अपना नाम श्रीमति हवाकंवर पत्नी भीमकंवर के स्थान पर लक्ष्मण कंवर पत्नी भीमसिंह करवाने की अधिकारी है ?

वादीगण सं.–1

2. आया कि विवादित भूमि चक 64 जी.बी पत्थर नं.–246/437, मुरब्बा नं.–247/437, मुरब्बा नं.–247/238 10.122 हैक्टर भूमि के सबंध में स्वीकृत नामातरण सं.–175 दिनांक 20.08.2009 में वादीया सं.–2 अपना नाम भूलकंवर पत्नी भीमसिंह के स्थान पर फुलवाकंवर पुत्री भीमसिंह करवाने की अधिकारी है ?

वादीगण सं.–2

3. अनुतोष ?

वादी ने अपने हिस्से की तनकी संख्या 1 को साबित करने के लिये पीडब्ल्यू–1 एवं पीडब्ल्यू–2 अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी के तहत स्वयं का शपथ पत्र पेश किये। अपने दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबंदी, प्रदर्श–2 नामातरण की फोटो प्रति, प्रदर्श–14ए वारिस प्रमाण पत्र फोटो प्रति, प्रदर्श–3ए आधार कार्ड की प्रति, प्रदर्श–4 आयकर विभाग की प्रति प्रदर्श–5ए वोटर कार्ड की फोटो प्रति, प्रदर्श–6ए ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र प्रदर्श–7 भारतीय जीवन बीमा निगम पेश कर प्रदर्शित करवाये व अन्य साक्ष्य पेश नही करना चाहा। जिस पर साक्ष्य वादी समाप्त की गई। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर पत्रावली वास्ते बहस मुर्कर की गई।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मेरे द्वारा मनन किया गया। वादीगण द्वारा अपनी मौखिक व दस्तावेज साक्ष्य से अपने वाद पत्र एवं जिम्मे की तनकी सं.–1 व 2 को भलीबाती साबित किया गया हैं तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा स्टेट जवाब व ग्राम पंचायत झझू वर्ष–2024 मे जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर वादीगण का नाम हवाकंवर पत्नी भीमसिंह के स्थान पर लक्ष्मण कंवर पत्नी भीमसिंह व फूलकंवर पुत्री भीम सिंह के स्थान पर फुलवा कंवर पुत्री भीम सिंह दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत एवं वाद वादीगण बहक वादी विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर सयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक 64 जी बी मुरब्बा नं.–22 पत्थर नं. –247/438 कुल 2.2780 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम **हवाकंवर पत्नी भीमसिंह के स्थान पर लक्ष्मण कंवर पत्नी भीमसिंह व फूलकंवर पुत्री भीमसिंह के स्थान पर फूलकंवर उर्फ फुलवा कंवर पुत्री भीमसिंह** प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ को उक्त आदेश को राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.08 13:44:41 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 24/7/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़